COURT FEE 20रु. Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES
5रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

175

नि/2670/II/15

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर मध्य-प्रदेश

निगरानी क्रमांक- सन 15

उर्मिला विधवा लल्लूराम बाजपेयी उम्र 60 वर्ष,
निवासी छुई खदान तर्डरोड छतरपुर म0प्र0 -- निगरानीकर्ता

बनाम

मध्य-प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर छतरपुर -- गैर निगरानीकर्ता

मुकेश भार्गव, अधि0
19-8-15 को

19-8-15

W3
मुकेश भार्गव
19-8-15 एडवोकेट
ग्वालियर

निगरानी कलेक्टर छतरपुर के प्रकरण क्रमांक-
04/अ-20/11-012 मे पारित आदेश दिनांक
16.5.12 के विरुद्ध

निगरानी धारा 50 म0प्र0भू0राजस्व संहिता के अंतर्गत

महोदय,

निगरानीकर्ता निम्नलिखित कारणों पर यह निगरानी प्रस्तुत कर निवेदित है :-

1. यहकि भूमि खसरा क्र. 1858 रकवा 0.129 हे0 भूमि स्थित ग्राम- बगौता तहसील व जिला छतरपुर पूर्व मे नरबदिया तन्य बंदी के नाम से 5.82 एकड़ भूमि सन 1943-1944 रियासत बिजावर भूमि स्वामी स्वामित्व एवं आधिपत्य की रही है।

2. य हकि सन् 1943-1944, से 1983-1984 तक नरबदिया तन्य बंदू कुशवाहा के नाम राजस्व मे दर्ज रही सन- 1983-1984 मे उक्त खसरा क्र. 1858 का ए नरबदिया के द्वारा गौरीबाई कालीचरन, नारायण दास श्रीमती रामकली, के नाम से नरबदिया के द्वारा विक्रीत का गई, और उनके नाम से राजस्व अभिलेख मे नामांतरित हुई।

R

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक 2670–11/2015 निगरानी जिला छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23–06–2016	1– आवेदक के अधिवक्ता मुकेश भार्गव उपस्थित अनावेदक शासन के अधिवक्ता बी.एन. त्यागी उपस्थित उभयपक्ष अधिवक्तागणेां के तर्क श्रवण किये। 2– मैने प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी कलेक्टर (नजूल) जिला छतरपुर म.प्र. के प्रकरण कमांक 04/अ–20–1/2011–12 मं पारित आदेश दिनांक 16.5.12 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। 3– आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क में कहा गया है कि आवेदक की भूमि ग्राम बगौता तहसील व जिला छतरपुर में स्थित भूमि ख.नं. 1858 रकवा 0.129 हे. भूमि के पूर्व भूमिस्वमी लल्लूराम थे लल्लूराम की मृत्यु होने पर राजस्वअभिलेख में उक्त भूमि आवेदक श्रीमती उर्मिला पत्नी लल्लूराम के नाम से नामांतरित हुई नामांतरण दिनांक से राजस्व अभिलेख में उक्त भूमि आवेदक के नाम से दर्ज होकर मौके पर काबिज है। आवेदक द्वारा यह भी तर्क दिया कलेक्टर (नजूल) छतरपुर ने शासकीय नलूज राजस्व अभिलेख के बिना आवेदक को सूचना दिये बिना सुनवाई का अवसर दिये बिना राजस्व प्रकरण कमांक 04/अ–20–1/2011–12 में	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	पारित आदेश अंतिम पृष्ठ क्रं. 29 सरल क्रमांक 909 पर सर्वे क्रमांक 1858 रकवा 0.129 हे. भूमि अपने आदेश दिनांक 16.5.12 द्वारा राजस्व अभिलेख में शासकीय नजूल दर्ज करने का विधि विपरीत आदेश पारित किया है। यह भी तर्क दिया गया कि कलेक्टर ने आवेदक के भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि को अन्य व्यक्तियों के साथ सम्मिलित कर मात्र उपधारणाओं पर आधारित कर भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि को जांच कराये बिना आवेदक को सुने बिना पीठ पीछे राजस्व अभिलेख में शासकीय नजूल दर्ज करने का आदेश देने में त्रुटि की है। इस प्रकार कलेक्टर (नजूल) छतरपुर द्वारा आवेदक के स्वामित्व की भूमि ख.नं. 1858 रकवा 0.129 हे. भूमि के संबंध में पारित आदेश दिनांक 16.5.12 निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया है। 4– अनावेदक शासन के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अधीनसथ न्यायालय का आदेश उचित होने से स्थिर रखे जाने का निवेदन किया। 5– उभयपक्षो के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्को पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया तथा आलोच्य आदेश का परिशीलन किया। आवेदक वादग्रस्त सर्वे नं. 1858 रकवा 0.129 हे. का अभिलिखित भूमिस्वामी है। कलेक्टर के आदेश से यह भी स्पष्ट है कि उनके द्वारा आदेश पारित करने के पूर्व आवेदक को अपना पक्ष रखने का कोई अवसर नहीं दिया है जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के पूर्णतः विपरीत है। इस कारण कलेक्टर (नजूल)	

XXXIX(a)BR(H)-11 -3-

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक 2670–11/2015 निगरानी जिला छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	द्वारा अपने आदेश में आवेदक के संबंध में निकाले गये निष्कर्ष एवं पारित आदेश का अंश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा कलेक्टर (नजूल) द्वारा पारित आलोच्य आदेश का अंश जहां तक आवेदक के स्वामित्व की भूमि खसरा नं. 1858 रकवा 0.129 हे. का संबंध है निरस्त किया जाता है तथा कलेक्टर का शेष आदेश स्थिर रखा जाता है। तहसीलदार छतरपुर को निर्देश दिये जाते हैं कि वे तदनुसार राजस्व अभिलेख में दर्ज शासकीय नजूल के स्थान पर पूर्ववत आवेदक का नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज करें। सदस्य	